



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

संख्या : 677 / मा०सं०(04) / उ०नि०लि० / 2013-45-मा०सं०(04) / 2008(टी०सी०-६)

दिनांक 27-05-2013

मुख्य अभियन्ता, अनपरा / ओबरा / पारीछा / हरदुआगंज / पनकी ताप विद्युत गृह,
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
सोनभद्र / झाँसी / कासिमपुर(अलीगढ़) / कानपुर।

मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त / लेखा) / मुख्य अभियन्ता, कारपोरेट स्ट्रेटजी /
पी०पी०एम०एम० / ता०परि० / वाणिज्य / पर्यावरण एवं सुरक्षा / जानपद/
ईधन / संचिव, विद्युत सेवा आयोग,
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय : चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

सेवानिवृत्त पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर, जिनके पेंशन भुगतान आदेश पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अथवा
उ०प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत हों, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान उ०प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा किये
जाने के सम्बन्ध में निगमीय आदेश संख्या: 1325 / मा०सं०प्र०-०२ / उ०नि०लि० / 2012-10 (110)-मा० सं० प्र०-०२ /
उनिलि० / 2011 दिनांक 12 जून, 2012 को निरस्त करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उ० प्र० पावर
कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञापन संख्या : 2800-ओस / 2012- 11(30)ए०एस० / 2004 दिनांक 21 सितम्बर, 2012 के बिन्दु
संख्या 9 एवं 10, जो अधोउद्धरित है, के अनुसार उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम से सम्बन्धित चिकित्सा प्रतिपूर्ति के
संगत प्रकरण निरस्तारित किये जायेगे:-

- 9— उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अथवा अन्य निगम की सेवा से सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक जिनके
द्वारा वर्तमान में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड अथवा इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों से पेंशन भुगतान प्राप्त किया
जा रहा है उनके मामलों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति / क्रेडिट बीजक का दावा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा भुगतान
हेतु स्वीकार / अनुमन्य कराया जायेगा।
- 10— ऐसे कार्मिक जो वर्तमान में उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अथवा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन
कारपोरेशन लिमिटेड के स्तर से वेतन अथवा पेंशन का आहरण कर रहे हैं, उनके क्रेडिट चिकित्सा व्यय / प्रतिपूर्ति के
दावों का भुगतान उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड / उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड जैसी भी
स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

कृपया तदनुसार लम्बित / प्राप्त होने वाले चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही
करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सक्सेना)
अधीक्षण अभियन्ता(मा०सं०-०४)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अपर सचिव (तृतीय), उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप महाप्रबन्धक/अधीकारी (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/रिफार्म/प्रशिक्षण, उनिलि, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. सलाहकार (चिकित्सा)/(औ०सं०) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. उप सचिव/उप मुख्य लेखाधिकारी (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त उप सचिव/अनु सचिव, (मा०सं०-01/02/03/04/05/06), उ०प्र०रा०वि०उ०निं०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अनुभाग अधिकारी, मा०सं० (02/04), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से


(मनोज कुमार सेक्सेन) २७/५/१३
अधीक्षण अभियन्ता(मा०सं०-04)